

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26072023-247604
SG-DL-E-26072023-247604असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]	दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 2023/श्रावण 3, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 164
No. 233]	DELHI, TUESDAY, JULY 25, 2023/SHRAVANA 3, 1945	[N. C. T. D. No. 164

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 जुलाई, 2023

सं. फा.1/24/2017-न्यायिक/1369-1371.—सार्वजनिक सूचना के लिए एतद्वारा निम्नलिखित रूप में प्रकाशित किया जाता है:-

विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22 (बी) में अन्तर्विष्ट अनुबन्धों का अनुसरण करते हुए बिजली से संबंधित मामलों के अधिकार क्षेत्र के संबंध में तत्कालीन माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय/कार्यकारी अध्यक्ष, डीएसएलएसए के दिनांक 26.04.2018 के आदेश के अनुसरण में, पश्चिमी दिल्ली में स्थापित स्थायी लोक अदालत-III को दिनांक 02.05.2022 से पूर्ण कोरम के साथ पुनर्गठित और कार्यशील बनाया गया है।

स्थायी लोक अदालत- III

अध्यक्ष - श्री राम प्रकाश पांडेय
 अन्यव्यक्ति/ सदस्य - श्री शशि प्रकाश
 - श्री कुलदीप कुमार जैन

आदेशानुसार,
 माननीय मुख्य न्यायाधीश,
 दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

हस्ताक्षरित
 सदस्य सचिव, दि.रा.वि.सेवा.प्रा.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल के
 आदेश से और उनके नाम पर,
 भरत पाराशर, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi, the 25th July, 2023

No. F. 1/24/2017-Judl./Suptlaw/1369-1371.—The following is hereby published for general information of the public:-

In pursuance to the orders dated 26.04.2018 of the then Hon'ble Acting Chief Justice, High Court of Delhi/Executive Chairperson, DSLSA, Permanent Lok Adalat-III established in West Delhi has been re-constituted and functional with full quorum w.e.f. 02.05.2022 to exercise the jurisdiction in respect of matters relating to electricity in accordance with provisions envisaged in Section 22(B) of the Legal Services Authorities Act 1987.

Permanent Lok Adalat –III

Chairperson – Sh. Ram Prakash Pandey
 Other Persons/Members – Sh. Shashi Prakash
 – Sh. Kuldeep Kumar Jain

By Orders of Hon'ble Chief Justice
 High Court of Delhi, New Delhi

-Sd-
 Member Secretary, DSLSA

By Order and in the Name of Lt. Governor of
 National Capital Territory of Delhi,
 BHARAT PARASHAR, Principal Secy.